113/020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 13 NOV 2020 आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 905236

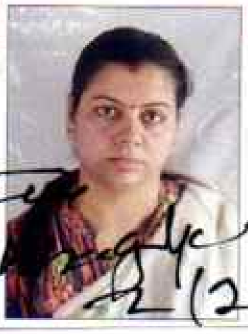

# रेनबो चेरिटेबल ट्रस्ट

ग्राम–तिवारीपुर, पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–सदर, जनपद–आजमगढ़

(ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 02-12-2020 को तहसील सदर, जिला–आजमगढ़ में **श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी डॉ0 दीपक पाण्डेय, ग्राम–नासिरूद्दीनपुर, पोस्ट–सठियॉव, तहसील–सदर, जिला–आजमगढ़ उ0प्र0** द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया 5100.00/– मात्र की राशि है। जिसे पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोंतो से दान, उपकरण ऋण आदि भी सम्मिलित है। जिसके द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके। ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक/ प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया 5100.00/– नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम–तिवारीपुर, पोस्ट–गोपालपुर, तहसील–सदर, जिला–आजमगढ़ उ0प्र0** अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक/

Priyanka Pandey

रैनबो ओरिएंटल ट्रस्ट सिधारी पुर सिधारी आजमगढ़

क्र० 64
रु. 500/-

(signature)
26/11/19
(stamp) कदीम अहमद स्टाम्प वेण्डर कलेक्टरेट आजमगढ़

गवाह ①
आशीष कुमार यादव S/o कैलाश पति यादव
ग्रा० भगवानपुर पो० लछियाँव लोहरा
त० सदर जि० आजमगढ़
मो० 8707655436

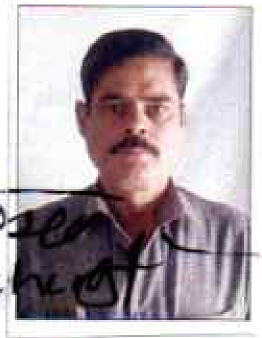

(signature)

गवाह ②
अजीत कुमार पाण्डेय पु० त्रिभुवन पाण्डेय
सा० नासिरुद्दीनपुर पो० सठियांव
त० सदर आजमगढ़
मो०नं० 9451401306

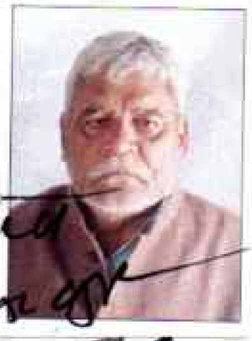

(signature)
2/7/20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 13 NOV 2020 आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 905237



प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु उद्‌देश्य निम्न प्रकार धरा बद्ध घोषित किया जाता है।

**(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)**

1. कार्यक्षेत्रके अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक / बालिका विद्यालयों? महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों कान्वेण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, आंगन बाड़ी, बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों चरवाहा विद्यालयों, बालिका विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों आदि का स्थापना एवं संचालन करना।
2. निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
3. बाल श्रमिकों का चिन्ही करण करना तथा उन्हे शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हे तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।
4. विकलांग को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगो का क्रय व वितरण करना।

Priyanka Pandey

क्र० 65 स्टा० क्र० 64—

Rs. 500/-

26/11/20

वसीम अहमद ला० नं०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 251421



5. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स, एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत नाट्य, वादय, कला, नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, ब्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए0सी0 रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मास कम्युनिकेशन, साफ्ट ट्वायज, नृत्यथियेटर, माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेण्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, पेंटिंग, आई0टी0आई0, बाम्बे आर्ट, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

6. जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों, प्रवचन, सभाओं, अध्ययन शिविरों, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

7. नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से राकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

8. गरीब, हरिजन, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

9. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोंगों के अन्दर पैदा

Priyanka Pandey

2066 ला० नं० 64—
Rs. 50

26/11/020

वसीम अहमद ला० नं०- [illegible]
कलक्टेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
25AE 239857



करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, अवार्ड, कपार्ट, नवार्ड, नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा अम्बेडकर ग्राम समग्र, ग्राम स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार, स्वजल धारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।

11. बालक/बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों, गोष्ठियों प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना। सफल बालक/बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना।

12. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

13. वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्राणीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

14. मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियों शिविरों, हेपेटाइटिस शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

15. कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, बिस्कुट, नील, चाय, कागज की कप

Priyanka Pandey

पु० 67
Rs. 101/-

मा० पु० 64/-

26/11/020

वसीम अहमद

इलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239858



प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

16. समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गाँजा, अफीम, भाँग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

17. गाँवो का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

18. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0 की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवारजनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

19. कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अर्न्तगत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।

20. युवाओं में माँगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना।

21. दैवीय आपदा यथा बाढ़, सुखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तुफान आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा–इलाज, आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।

22. वैकल्पिक उर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले उर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक उर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके

Priyanka Pandey

प्र० 68 स्टा० नं० 64—

85-101-

वसीम अहमद

26/11/02

वसीम अहमद लाइ० नं०-69

कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239859



प्रचार–प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश से अनुदान / सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोकल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

23. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

24. स्वास्थय के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अर्न्तगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना।

25. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉच व परीक्षण करना एवं समय–समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूंण हत्या को रोकने का प्रयास करना।

26. युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा, ग्राम सेवा, सदाचार, कर्तव्य सहायता, आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।

27. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहें मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी0बी0, चेचक आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

28. सरकार द्वारा चलाये जा रहें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना।

29. स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना।

30. गॉवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह–जगह चौपालों, जनजागरूकता

Priyanka Pandey

रु० 69 फा० सं० 64—
45.10/-

26/11/07
वसीम अहमद रजि० नं०-68
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239860



कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

31. औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आर्युवेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगो को बताना तथा जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

32. गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक–पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

33. कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकी यंत्रो, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

34. जेटोफा (डीजल का पौधा, रतन जोत) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर एवं जेटोफर के वृक्ष लगवाने का प्रयास करना।

35. जीव–जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना तथा जीव–जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना।

36. युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा अध्यात्म व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

Priyanka Pandey

प्र० ७० ला० क० 64—

25/01/—

26/11/02

कसीम अहमद लॉट न०-69
कलेक्टरेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239861



37. जेटोफर के बीज का किसानों को उचित मूल्य दिलवाना एवं उसका क्रय–विक्रय करने का प्रयास करना।

38. आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करवाना एवं उनकी देख–रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगो को बताना तथा इनसे हाने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार करना तथा जगह–जगह निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

39. संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा 12 (क) एवं 80 जी (5) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना।

40. कस्तूरबा गॉधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अर्न्तगत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।

41. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत कब्रिस्तान व मस्जिद चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना।

42. मौलवी तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों, भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना।

43. धर्म का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भेजना तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

44. कब्रिस्तान व मस्जिद के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा वृक्षारोपण करवाना तथा उससे अर्जित धन को समाज विकास व अन्य चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

45. कब्रिस्तान व मस्जिद के मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण व सुरक्षा करना।

46. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध मौलवी जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन

Priyanka Pandey

क्र० 71 स्टा० रु० 64-
रु० 101-

वसीम अहमद
26/11/020

वसीम अहमद लाइ० नं०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239862



एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

47. भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय–विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

48. किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था एवं राष्ट्रीय बैंक से ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करना।

49. किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

50. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत धर्म से सम्बन्धित निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयो आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

51. मस्जिद, कब्रिस्तान के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा वृक्षारोपण करवाना तथा उससे अर्जित धन को मस्जिद, कब्रिस्तान व समाज विकास व अन्य चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

52. सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्डो, डंडा मैन, गन मैन, लेबर, कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

53. मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र–छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना।

54. मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों, मकतबों, तहतानिया, फौकानियॉ, आलिया, हाफिज, कारी, मुन्शी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल, मुफती, निश्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

55. मंदिर की देख–भाल, पूजा–पाठ, साफ–सफाई, जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने

Priyanka Pandey

P 72
Rs. 10/-

ला० न० 64 –

कासिम अहमद
26/11/020

कासिम अहमद ला० न०-64
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239863



का प्रयास करना।

56. साधू–संतो तथा धर्मात्माओं के लिए विश्रामकक्षों, भोजन, वस्त्रादि का प्रबन्ध करना।

57. धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा इसके निमित्त योग्य धर्मात्माओं को विदेश भेजना तथा विदेशियों को अपने यहाँ आमंत्रित करना।

58. मंदिर के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा धर्मशाला निर्माण व मरम्मत करवाना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर एवं धर्मशाला विकास व चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

59. मंदिर एवं धर्मशाला के अर्न्तगत आने वाले चढ़ावे, चन्दा, दान, अनुदान, ऋण, सरकारी, गैर सरकारी तथा जनता आदि के मदद से प्राप्त धन का यज्ञ, हवन, पूजा, प्रसाद, मंदिर विकास एवं सामूहिक भोज आदि कार्यों में व्यय करना।

60. मंदिर एवं धर्मशाला परिसर में स्थिति मैदान की साफ–सफाई, सुन्दरीकरण, सुरक्षा करना।

61. मंदिर परिसर के अर्न्तगत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध साधु–सन्त, पुरूष महिला जो कि असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

62. मंदिर की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, मंदिर परिसर के अन्तर्गत विवाह मंडप (मैरेज हाल) की स्थापना एवं संचालन करना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर विकास में व्यय करना।

63. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, संत रविदास पूजा, महाशिव रात्री आदि के समय मेले का आयोजन एवं संचालन करना।

64. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक, नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना।

Priyanka Pandey

73
85-102

मा० 064—

26/11/02

वसीम अहमद ला० न०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239864



65. गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना।

66. खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन हेतु आनुवंशिक / प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना।

67. किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग अथवा राज्य मण्डल और संस्था / और / अथवा / संघ / राज्य सरकार से चन्दा , दान, अनुदान, वसीयत और धरोहरों की योजना प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

68. संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सूबाधारी तथा चल और / अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय–विनियमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

69. मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख–रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर–फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, नाली, पानी, फर्नीचरों, जूड़नारों, यंत्रों, उपकरणों, संघित्रों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है। उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।

70. संस्था से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का क्रय विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनियम, बंधक, डिमाइस, पट्टी अथवा किराये पर देना निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना।

71. संस्था से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित / या सहित

Priyanka Pandey

7? ला० 00064-

Rs. 10/-

26/11/020

कमाम अहमद ला० नं०-05
कलक्टे० आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239865



अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना।

72. संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक / बैंकों में खाता / खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक / बैंको के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।

73. संस्था की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रेसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

74. संस्था की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रसासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

75. संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करनें में किया जायेगा और उसे सदस्यों को नहीं बाटा जायेगा।

76. केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0 खादी कमीशन के पैटर्नुसार खादी वस्त्रों एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करनें का प्रयास करना।

77. खादी का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगो की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

78. केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग / उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास में कार्य करना।

79. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना।

80. कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले

Priyanka Pandey

26/11/07

वसीम अहमद [illegible] 10-03
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239866



परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।

81. क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनाये बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

82. क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवित्तयों एवं पैर्टन के अनुसार मुख्तः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (रूरल इण्डस्ट्रीज) के विकास/प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

83. मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना।

84. मत्स्य पालन हेतु तालाबों, पोखरों आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन कर देश व जनता के विकास करने हेतु प्रयास करना।

85. मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

86. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ–सफाई व जीर्णोद्धारा से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना।

87. मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।

88. मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना।

89. मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना।

90. समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एड०, बी०टी०सी०, डी०एड०, यू०टी०सी० आदि प्रशिक्षण केन्दों की स्थापना एवं संचालन करना।

91. उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा जनसेवा केन्द्र, कौशल

Priyanka Pandey

क्र० 76 दा० स०64—
Rs.10

वसीम अहमद
26/11/020
वसीम अहमद ला० नं०-69
कलक्टेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239867



विकास प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रो आदि की स्थापना व संचालन विभागतीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

92. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयो, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

93. पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिग होमों, फार्मेसी, पैथालाजी, रेडियोलाजी, फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिर्टी, नर्स आदि प्रशिक्षण केन्द्रो तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

94. गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी सम्बृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।

95. गोवंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध से बचाने का प्रयास करना।

96. सम्पूर्ण गोवंश को कसाईयों एवं गोवंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना।

97. तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोवंश एवं पशुधन अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुवा करना।

98. गोवंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना।

99. गोवंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना, जिसमें महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना।

100. पंच गव्य (गाय का दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, गोघृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती, साबुन, दंत मंजन पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय

Brijanka Pandey

क्र० 77 स्टा० क्र० 64
Rs.10/

26/11/020
वसीम अहमद ला० नं०-65
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239868



देने का प्रयास करना।

101. उत्तम जाति के साड़ो के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाती की संतानो को उत्पन्न करने का प्रयास करना।

102. गोमॉस एवं मॉस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मॉस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना।

103. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

104. उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागतीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

105. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्व विद्यालयों, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

106. स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक
1- चिकित्सा, इक्यूप्रेशर आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा नर्स प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

107. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

108. बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

109. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहें मलेरिया, काला आजार, डेंगू बुखार जापानी

Priyanka Pandey

[illegible] ला० नं० 69—

Rs. 10

वसीम अहमद
26/11/02

वसीम अहमद ला० नं०-69
कलक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239869



इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, रजित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी0बी0, चेचक, गिनी कृमि, याज आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगो को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

110. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय, लोगा को भोजन, चिकित्सा, आवास, वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

111. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत बौद्ध बिहार स्थापना व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध बिहारों की देख–भाल, सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

112. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

113. अम्बेडकर जयन्ती, कांशीराम जयन्ती, संत रविदास जयन्ती आदि समारोह विशेषकर वार्षिक श्रृगांर आदि को धूम–धाम से मनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

114. भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाओं, बौद्ध बिहारों, जैन बिहारी आदि का जीर्णोद्धारा, निर्माण, सुन्दरीकरण, सुफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

115. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं व बौद्ध बिहार के जिर्णोद्धार की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

116. बौद्ध बिहार में आने वाले आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों, स्वच्छ पेय जल, शौचालय, मुत्रालय आदि का प्रबन्ध करना।

Priyanka Pandey

क्र० 79 / Rs 10/-    स्टा० क्र० 64—

26/11/02

वसीम अहमद लाइ० नं०-69

कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239870



117. बौद्ध बिहार की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना।

118. समय–समय पर बौद्ध धर्म दीक्षा समारोहों का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना।

119. बौद्ध धर्म से जुड़े सभी संस्कारों का सम्पादन करना तथा विभागीय अनुमति से प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना।

120. बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार करने का प्रयास करना।

121. दलित, शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता, अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

122. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना।

123. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले सरमाकरी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्‌भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।

124. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को एकजुट कर उनकी मांगो सद्‌भाव पूर्वक सरकार से हल कराने का प्रयास करना।

125. सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनकी की सुविधाओं को समिति के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना।

126. सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाना तथा उन्हे एक जूट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना।

Priyanka Pandey

प्र० 80 / Rs.10 क्र०सं० 64—

कयाम अहमद

26/11/02

कयाम अहमद ला० नं०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
25AE 239871



127. मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना।

128. कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

129. हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र (डेयरी) की स्थापना व संचालन करना।

130. मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

131. नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

132. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण महिला कल्याण आदि भिन्न विभागों द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

133. पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों, सीमेन्ट ईट का निर्माण, मिट्टी ईट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना।

134. बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खदान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना।

135. शेयर बाजार के बारे लोगों के निःशुल्क जानकारी देना, तथा इस निमित्त पत्र पत्रिकाओं, अखबारों

Priyanka Pandey

क्र० 81 / कि-10  प्रा० रू० 64—

[illegible signature]

26/11/07

वरिष्ठ [illegible] आजमगढ़

कलक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239872



व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।

136. विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी तथा राज्य सरकार , केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना। अथवा संचालित करने का प्रयास करना।

137. मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदो को प्रदान करना, तथा ब्लड बैंक का संचालन करना।

<u>प्रारम्भिक उपबन्धः–</u>

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक 02-12-2020 से **श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी डॉ0 दीपक पाण्डेय** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक **श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी डॉ0 दीपक पाण्डेय** द्वारा रजिस्टार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाय तो उनके पश्चात उनके योग्य पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनके पति को इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगे जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।

4. यदि **श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी डॉ0 दीपक पाण्डेय** के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनके पति को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालेगे जब कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

Priyanka Pandey

प्र० 82 स्टा० रु० 64—

Rs 100

26/11/2020

वसीम अहमद ली० नं०-69

कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239873



5. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की यह व्यवस्था रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा। यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का काई उत्तराधिकारी नही है तो उक्त परिस्थिति में ट्रस्ट यादगार ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्थ अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

Priyanka Pandey

2083 / 45.10 ला० 0066—

कय्यूम अहमद
26/11/2020

कय्यूम अहमद लाइ० नं०-66
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (21) 25AE 268535

**बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-**

1. न्यास की स्थापना के समय हम मुकीर द्वारा ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगे जिसे बोर्ड आंफ ट्रस्टी अथवा प्रबन्धकारिणी कहा जायेगा जो ट्रस्ट द्वारा समस्त प्रतिस्ठानो / संस्थानों को संचालित एंव नियोजित करेगा नामित व्यक्तियों का विवरण निम्न है-

| नाम ट्रस्टी | ट्रस्टी पद | व्यवसाय | पता |
|---|---|---|---|
| 1- श्रीमती प्रियंका पाण्डेय | संस्थापक/प्रबन्धक | समाज सेवा | नासिरुद्दीनपुर सठियांव आजमगढ |
| 2- श्रीमती कला पाण्डेय | अध्यक्ष | समाज सेवा | नासिरुद्दीनपुर सठियांव आजमगढ |
| 3- शशि पाण्डेय | सचिव / कोषाध्यक्ष | समाज सेवा | राहुल नगर मड़या सदर आजमगढ |
| 4- बृजेश्वर पाण्डेय | उपाध्यक्ष | समाज सेवा | ग्राम व पो० कासिपुर मऊ |
| 5- डां० शरद मिश्रा | उपसचिव | समाज सेवा | मातवरगंज सदर आजमगढ |
| 6- श्रीमती निष्ठा पाण्डेय | सदस्य | समाज सेवा | राहुल नगर मड़या सदर आजमगढ |
| 7- अशोक कुमार पाण्डेय | सदस्य | समाज सेवा | नासिरुद्दीनपुर सठियांव आजमगढ |

2- बोर्ड आंफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टीज / प्रबन्धक के पास रुपया 1000 जमा कर बोर्ड आंफ ट्रस्टीज बन सकता है परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा! यदि वह पुनः बोर्ड आंफ ट्रस्टीज बनना चाहता है तो उसकी पुनः वापसी लगातार नही हो सकती है बल्कि वह एक वर्ष के अन्तराल पर बोर्ड आंफ ट्रस्टीज पुनः एक वर्ष के लिये उतनी धनराशि जमा कर बन सकता है! लेकिन एक का अन्तराल अनिवार्य है!

3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका

Priyanka Pandey

[illegible]

[illegible]

1-12-2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239875



कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है। जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा। इस बैठक को बुलाने का पुरा अधिकार प्रबन्धक के पास ही निहित होगा।

5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हें विषयों पर विचार करेगा, तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझे तो ट्रस्ट में संशोधन किया जा सकता है परन्तु उक्त ट्रस्ट के वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ही होगा।

6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा।

**मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्यकाल एवं सुविधायें:–**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं यहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/

Priyanka Pandey

क्र० 85
15-10-02

स्टा० नं० 64 —

26/11/02

कसीम अहमद ला० नं०-69
कलेक्टरेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239876



प्रबन्धक निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

**कार्यक्षेत्रः—**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार , अनुदान, दान, चन्दा, ऋण आदि प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व सलाह दे सकता है।

**मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक का विशेषाधिकारः—**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट का अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्ताक्षेप का निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत, संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई कभी दिशानिर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल / अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। सचिव / उपसचिव, उपाध्यक्ष की नियुक्ति।

**मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख—भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिव की नियुक्ति कर सकता है।
2. सचिव, उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक निश्चित किये

Priyanka Pandey

26/11/02

असीम अहमद लि० नं०-69
कलेक्ट्रेट आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239877



जायेगें।

3. उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यान्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों को कार्यरत व्यक्तिओं के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो के सम्पादन व देख–भाल करने के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है।
5. उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य आदि को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगा।
6. उक्त उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यान्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों को कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

**<u>अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य</u>**

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के सचिव उपसचिव या उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता।
3. इस ट्रस्ट के अर्न्तगत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करने हेतु रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

Priyanka Pandey

पृ० 87 / Rs-10/-   ला० नं० 64—

कसीम अहमद
26/11/020

कसीम अहमद ला० नं०-69
कलेक्टरेट आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25AE 239878



**उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्यः–**

प्रबन्धक / ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार–विमर्श हेतु बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति से कोई निर्णय नही ले सकता है।

**सचिव के अधिकार व कर्तव्यः–**

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी होगा। ट्रस्ट के सचिव के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य है।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्देश्यों का गठन करना उनके संयोजकों / निवेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम / उपनियम बनाना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. ट्रस्ट के प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. क्रम संख्या 1 से 7 के कार्य जो सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य की श्रेणी में आते है वह अपने इन कार्यो को जब तक संस्थापक / प्रबन्धक से जॉच कर हस्ताक्षरित नहीं करा लेता है तब तक वह

Priyanka Pandey

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239879



मूल रूप में नही माना जायेगा। उसकी मान्यता तभी मान्य होगी जब तक की पूर्ण रूप से संस्थापक / प्रबन्धक उसको अपनी जाँच टीम से या अपने स्वविवेक से पढ़कर संन्तुष्ट न हो ले। उसके बाद अपने हस्ताक्षर से उसे सचिव के बाद भेजा जायेगा, वह मान्य होगा। प्रबन्धक के हस्ताक्षर के बिना सचिव द्वारा किया गया कोई भी निर्णय शून्य माना जायेगा।

**उपसचिव के अधिकार व कर्तव्यः—**

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद को अधिकार का प्रयोग करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राप्त उनके अधिकारों का प्रयोग करना।
3. सचिव की अनुपस्थिति में यह जो भी कार्य देखेंगे उस पर पूरे कार्यो और निर्णयों पर जब जक प्रबन्धक की संस्तुति और हस्ताक्षर न हो जाय वह शून्य माना जायेगा।

**खाता संचालन की व्यवस्थाः—**

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा एकल रूप से किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय संस्थान / केन्द्र / कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता संचालित किया जा सकता है।

**विधिक कार्यवाही**

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध को विधिक कार्यवाही होती है तो, मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी / सदस्य को

Priyanka Pandey

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239880



अधिकृत कर सकता है।

**सम्पत्ति सम्बन्धितः–**

1. ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख–विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय, रेहन कर सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, संस्था, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान, उपहार, चन्दा, आग्रह, भेट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है।
6. ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है। किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है।

**विशेषः–**

1. इस ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक–पृथक रूप से कर सकता है।

Priyanka Pandey

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AE 239881



2. नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ अपने के उद्देश्य व नियमावली के किसी भी प्राविधान का प्रतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमाण की सीमा तक शून्य है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगा। इस धारा के अर्न्तगत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्नहित सभी उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, पारित, आत्मसर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर संचालित करने हेतु निम्न साक्षियों की परिस्थति में हस्ताक्षर बना दिये गये है।

दिनांक: 2-12-2020 ई०

हस्ताक्षर गवाह

1. आशीष कुमार यादव

2. अनीता

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का हस्ताक्षर

Priyanka Pandey

टाईपकर्ता:–
रविन्द्र कुमार शर्मा

मसविदाकर्ता: [signature]
2-12-2020 ई०

आवेदन सं॰: 202000966009580

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 207 के पृष्ठ 13 से 68 तक क्रमांक 113 पर दिनाँक 02/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ चन्द्र राय

उप निबंधक : सदर

आजमगढ़

02/12/2020

प्रिंट करें